

बम्बई में कोलम्बा के एक फ्लैट पर छापा मारा तथा बड़ी मात्रा में सोना पकड़ा;

(ख) यदि हां, तो पकड़े गये स्वर्ण का मूल्य क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पकड़े गये स्वर्ण पर विदेशी मार्के थे; और

(घ) सरकार द्वारा कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है तथा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). 21 अगस्त, 1969 को बम्बई के सीमा-शुल्क अधिकारियों ने कोलम्बो में एक फ्लैट की तलाशी ली तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर से लगभग 2.7 लाख रुपये का विदेशी मार्के का 2750 तोला सोना पकड़ा। इस सोने का बाजार मूल्य 5.4 लाख रुपये है।

एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया जिसे बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। आगे जांच-पड़ताल जारी है।

सीमा शुल्क तथा अपराध निरोध विभाग के अधिकारियों द्वारा बम्बई तथा थाना जिलों में छापे

3930. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री झा० सुंदरलाल :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री बंश नारायण सिंह :
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों तथा बम्बई के नौ-बहन तथा अपराध निरोधक विभाग के अधिकारियों ने बम्बई तथा थाना जिलों के कई स्थानों पर छापे मारे और कुछ ऐसे कागजात पकड़े जिन से भारी मात्रा में माल की तस्करी के आरोप सिद्ध होते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कागजातों के अनुसार अगस्त, 1969 में पकड़े गये तस्करी के माल का अनुमानित मूल्य क्या है; और

(ग) अब तक कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है तथा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। अगस्त 1969 में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय, बम्बई की निवारक सीमा शुल्क शाखा समुद्री तथा निवारक प्रभाग के अधिकारियों ने बम्बई नगर और थाना जिले में मुम्बरा में छापे मारे तथा कुछ दस्तावेज पकड़े, जिनसे कपड़ा, संश्लिष्ट सूत और फउन्टेन पेन जैसी चोरी-छिपे लायी ले जायी गयीं वस्तुओं के बड़े पैमाने पर लेन-देनों का पता चलता है।

(ख) चोरी-छिपे रूप में लाये ले जाये गये माल का लगभग मूल्य, जैसा कि अगस्त 1969 में पकड़े गये दस्तावेजों से जाहिर हुआ, दो करोड़ रुपये है।

(ग) पांच व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जिन्हें बाद में मजिस्ट्रेट ने जमानत पर छोड़ दिया। आगे जांच-पड़ताल चल रही है।

बाढ़ तथा सूखाग्रस्त राज्यों को धन का धाबंटन

3931. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री झा० सुन्दर लाल :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री शारदानन्द :
श्री बंश नारायण सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रिय सरकार द्वारा बाढ़ तथा सूखाग्रस्त राज्यों के लिए वित्तिय वर्ष 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 में राज्यवार अतदान के रूप में कितनी धनराशि नियत की गई; और

(ख) नियत धनराशि में से कितना अनुदान राज्यों को दे दिया गया है तथा कितनी धन राशि देना अभी शेष है ?

पूर्ति मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (२० के० खाडिलकर) : (क) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है

(ख) मौजूदा कार्यक्रमों के अनुसार प्राकृतिक विपत्तियों में राहत-कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता की रकम सम्बद्ध

राज्य सरकारों द्वारा किये गये वास्तविक व्यय को ध्यान में रखते हुए इस प्रयोजन के लिए स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा के अन्दर रहने हुए ही, दी जाती है। 1967-68 और 1968-69 तथा 1969-70 (अब तक) के दौरान राज्यों को अनुदान के रूप में दी गयी सहायता, राज्य सरकारों द्वारा सूचित किये गये व्यय के आधार पर दी गयी है। इस सहायता के किसी भाग को काम में न लाये जाने का सवाल इस समय पैदा ही नहीं होता।

विवरण

1967-68, 1968-69 और 1969-70 (10-12-1969 तक) में बाढ़ और सूखा सम्बन्धी राहत कार्यों के लिए राज्य सरकारों को बिये गये केन्द्रीय अनुदानों की रकमों का व्यौरा

(रुड़ि रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1967-68	1968-69	1969-70 (10-12-1969 तक)
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	3.00	2.50
2.	बिहार	9.25	1.00	—
3.	गुजरात	1.14	1.00	3.00
4.	केरल	—	—	0.30
5.	मध्यप्रदेश	11.50	0.01	—
6.	महाराष्ट्र	—	0.50	—
7.	मैसूर	—	1.63	—
8.	उड़ीसा	1.00	1.00	—
9.	राजस्थान	0.27	1.85	7.50
10.	तमिलनाडु	—	—	3.00
11.	उत्तर प्रदेश	0.84	—	—
12.	पश्चिम बंगाल	—	2.00	—
जोड़:		24.00	11.99	16.30